न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ

बइजलास श्री मुकेश कुमार मीना R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
32 / 2013	19 / 02 / 2013	17 / 01 / 2019

— उनवान —

1. गोविन्द नारायण पुत्र भौरा
2. रामचन्द्र पुत्र भौरा
3. रामधन पुत्र भौरा
4. रामनारायण पुत्र भौरा
5. सीताराम पुत्र अमरा

समस्त आयु वयस्क समस्त जाति गुर्जर समस्त निवासीयान ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र कालू
2. मनभर पुत्र महादेव (दौहराने दावा फौत)
   - 2 / 1 रामगोपाल पुत्र मनभर
   - 2 / 2 मोतादेवी पत्नि मनभर
3. देवनारायण पुत्र जगदीश पौत्र ठाकरसी
4. हनुमान पुत्र ठाकरसी
5. रामशरण पुत्र मूलचन्द पौत्र ठाकरसी
6. फूलचन्द पुत्र कल्याण
7. भौरी देवी बेवा कल्याण
8. कल्याणी बेवा रामरतन

समस्त आयु वयस्क समस्त जाति गुर्जर समस्त निवासी ग्राम भानपुरकलां तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

रमाशंकर शर्मा — वादी

पेरोकार सरकार — प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट

.....2

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

–: निर्णय :–

वादीगण ने यह वादपत्र घोषणा खातेदारी विरूद्ध प्रतिवादी के इस कथन के साथ पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 के हक पूर्वाधिकारी छोटू थे जिनके तीन पुत्र हरबक्स , सुखदेव , महादेव हुए। हरबक्स के एक पुत्र भौरा, सुखदेव के एक पुत्र अमरा तथा महादेव के कालू, मनभर , रामरतन, कल्याण, हरफूल , ठाकरसी , भौरा के वादी सं. 1 लगायत 4 हुए तथा अमरा के वादी सं. 5 हुआ , ठाकरसी गौद चला गया । वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 के हकपुर्वाधिकारी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ़में स्थित भूमि खसरा नम्बर 262 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 309 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 313 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 314 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 319 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 320 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 321 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 322 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 324 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 343 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 362 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 448 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 665 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 687 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 688 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 689 रकबा 3 बीघा , खसरा नम्बर 707 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 715 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा , खसरा नम्बर 717 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 718 रकबा 14 बिस्वा पर अर्सेदराज से काश्त करते थे। स्व0 भौरा पत्र हरबक्स के विधिक वारीसान / उत्तराधिकारी वादी सं. 1 लगायत 4 एवं स्व. अमरा पुत्र सुखदेव का विधिक वारीस/ उत्तराधिकारी वादी सं. 5 हैं जो कि वादग्रस्त भूमियों में वादी सं.1 लगायत 4 के पिता स्व0 भौरा पुत्र हरबक्स का हिस्सा 1/3 , वादी सं. 5 के पिता स्व0 अमरा पुत्र सुखदेव का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 का सयुक्त हिस्सा 1/3 स्थित था जिसे वे बहैसीयत खातेदार काश्त करते थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक वारीसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से 1/3 – 1/3 पर काबिज काश्त है। भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कर्ताखानदान होने के नाते उक्त वादग्रस्त भूमियों के सम्पूर्ण भाग के राजस्व रिकॉर्ड में महादेव पुत्र छोटू का नाम अंकित था जबकी उक्त समस्त वादग्रस्त भूमियों में हरबक्स पुत्र छोटू का हिस्सा 1/3 , सुखदेव पुत्र छोटू का हिस्सा 1/3 तथा महादेव पुत्र छोटू का वास्तविक हिस्सा 1/3 था। महादेव कि मृत्यु के पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजीयात के सम्पूर्ण भाग का नामान्तकरण अकेले महादेव के विधिक वारीसान कालू , मनभर , कल्याण, रामरतन, हरफूल के नाम खोला गया। जिसे दूरूस्त करने के लिए कालू वगैरह ने भू–प्रबन्ध विभाग के फद इख्तलाफ इन्द्राज खसरा के समय सलाहकार कमेटी के सामने जाहीर किया कि कालू वगैरह का हिस्सा 1/3 , भौंरा पुत्र हरबक्स का हिस्सा 1/3 , सीताराम पुत्र अमरा का हिस्सा 1/3 दर्ज किया जावे । भौंरा व सीताराम बटायती हैं जिनका पहले नाम दर्ज नहीं हैं। उक्त इन्द्राज के अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादीगण के हक पूर्वाधिकारी का कब्जा काश्त रहा हैं। परन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने सहवन से उक्त इन्द्राज के वादीगण के हकपूर्वाधिकारी भौंरा व अमरा का नाम जमाबन्दी पर अंकन नहीं किया तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में महादेव के वारीसान कालू वगैरह के नाम का ही अंकन किया गया हैं जो पूर्णतः विधि विरूद्ध हैं तथा वादीगण के हक अधिकारों के विरूद्ध शुन्य प्रभावी हैं। उक्त वादग्रस्त भूमियों पर वादी सं. 1 लगायत 4 के पिता स्व0 भौरा पुत्र हरबक्स गुर्जर हिस्सा

.....3

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

1/3 पर एवं वादी सं. 5 के पिता स्व0 अमरा पुत्र सुखदेव गुर्जर हिस्सा 1/3 पर एवं उनकी मृत्यु के बाद वादी सं. 1 लगायत 4 हिस्सा 1/3 पर , वादी सं. 5 हिस्सा 1/3 पर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय पर वादीगण के हकपूर्वाधिकारी भौरा, अमरा उक्त वादग्रस्त भूमि पर काश्त करते थे तथा उनकी मृत्यु होने तक वह एवं उनकी मृत्यु के बाद वादीगण उक्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार काश्त करते रहे हैं। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरीयों में भी वादी सं. 1 लगायत 4 के पिता भौंरा एवं वादी सं. 5 के पिता अमरा का नाम दर्ज हैं। वादीगण के हकपूर्वाधिकारी बरूहे कानून (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम) वादग्रस्त भूमि के खातेदार थे और उनकी मृत्यु के बाद से ही वादीगण कानूनन उक्त भूमि वादग्रस्त के खातेदार काश्तकार हो गये हैं। उक्त वादग्रस्त भूमियों के सम्पूर्ण भाग पर राजस्व कर्मचारीयों ने सहवन से अकेले महादेव के वारीसान कालू वगैरह के नाम दर्ज कर दिया । राजस्व कर्मचारीयों ने उक्त त्रुटीपूर्ण एवं अधिकारविहीन कार्यवाही की हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव वादीगण के अधिकारों पर नहीं पडता हैं क्योकि अधिनियम के प्रभाव में आने के समय एवं उससे पूर्व ही वादीगण के हकपूर्वाधिकारी उक्त वादग्रस्त भूमियों खातेदार कृषक थे एवं काश्त करते थे जिसका इन्द्राज भू–प्रबन्ध विभाग के फद इख्तलाफ इन्द्राज खसरा व खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 से 2011 व 2012 से 2015 में दर्ज हैं, तथा वादीगण आज तक भी उसी अनुसार काश्त कर रहे हैं। लम्बे समय से बतोर खातेदार काश्तकार काबिज होने से भी वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमियों के खातेदार काश्तकार हो गये हैं। वादीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व0 भौंरा व स्व. अमरा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात स्व0 भौंरा व स्व. अमरा के विधिक वारीसान वादीगण ही वादग्रस्त भूमियों के 1/3 – 1/3 हिस्से को हमेशा काश्त करते थे तथा कानूनन वे उसके 1/3 – 1/3 हिस्से के वास्तविक खातेदार काश्तकार हो गये थे परन्तु राजस्व कर्मचारीयों कि त्रुटी ये उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज नहीं किया हुआ जबकि बरूहे कानून वह उसके खातेदार थे। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज नहीं होने का कोई विपरीत प्रभाव वादीगण के अधिकारों पर नहीं पडता हैं। स्व0 भौरा व स्व0 अमरा एवं उसकी मृत्यु के बाद वादीगण बहैसियत खातेदार उक्त वादग्रस्त भूमि पर नियमित रूप से शांतिपूर्वक काश्त करते रहे हैं परन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में वादी सं. 1 गलायत 4 के पिता स्व0 भौंरा के हिस्से 1/3 व वादी सं. 5 के पिता स्व. अमरा के हिस्से 1/3 के स्थान पर सम्पूर्ण भाग पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकारी कालू वगैरह के नाम अंकित कर दिये जो कि वादीगण के हक अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता हैं जो वादीगण के अधिकारों के खिलाफ (NULL AND VOID) हैं जिससे प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 को वादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता हैं जिसका इल्म वादीगण को होने पर वादीगण ने उक्त प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया तो उन्होने आश्वासन दिया कि उक्त इन्द्राज का जब भी वादीगण कहेगें तब दूरूस्त करवा देगें। राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 वादग्रस्त भूमियों के सम्पूर्ण भाग का बैचान करने को आमादा है जबकी विधिक रूप से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 का सयुक्त रूप से उक्त वादग्रस्त भूमियों में 1/3 हिस्सा हैं इससे अधिक हिस्से का बैचान करने का प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 को कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। वादीगण अपने

.....4

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

हकपूर्वाधिकारी के समय से ही उक्त वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं तथा वादीगण के हकपूर्वाधिकारी विधिक रूप से वादग्रस्त भूमियों के वास्तविक रूप से 1/3 – 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे एवं उनकी मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसान / उत्तराधिकारी वादीगण ही वादग्रस्त भूमि के कानूनन वास्तविक खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज का दुरूस्त करवाने से साफ इन्कार करने तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 द्वारा दलालो से बातचीत करने व मौके पर अनजान लोगों लाने के बाद दिनांक 08–01–2013 को प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 वादग्रस्त आराजीयात पर आये तथा वादीगण को कब्जे काश्त से बेकाबिज करने का असफल प्रयास किया एवं धमकिया दी कि हम तुम्हे बेकाबिज करके रहेगें तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 ने कहा कि हम उक्त भूमि के सम्पूर्ण भाग का बैचान करेगें क्योंकि जमीन हमारे (प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 के) नाम खातेदारी दर्ज हैं और हम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज का दुरूस्त नहीं करवायेगें। वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं हुआ जबकी कब्जा काश्त बतौर खातेदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व के समय से ही था। वादीगण बरूहे कानून वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। इस कारण वादीगण के लिए यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार स्वयं को घोषित करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण का वादकारण उक्त वर्णित दिनांक 08–01–2013 की घटना से उत्पन्न होकर अब तक निरन्तर जारी हैं। जिससे वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोष्णार्थ दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन हैं कि वाद वादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 262 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 309 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 313 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 314 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 319 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 320 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 321 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 322 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 324 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 343 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 362 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 448 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 665 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 687 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 688 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 689 रकबा 3 बीघा , खसरा नम्बर 707 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 715 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा , खसरा नम्बर 717 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 718 रकबा 14 बिस्वा स्थित ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ़ के सयुक्त रूप से हिस्से 1/3 का खातेदार काश्तकार वादी सं. 1 लगायत 4 को एवं हिस्से 1/3 का खातेदार काश्तकार वादी सं. 5 को घोषित किया जाने के आदेश प्रदान करें। एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 के नाम से दर्ज समस्त प्रविष्ठीयों को वादीगण के अधिकारों की सीमा तक शून्य प्रभावी व बेअसर घोषित किया किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

.....5

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

वादपत्र वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 19–02–2013 को प्रतिवादी कि तलबी कि गई दिनांक 11/05/2017 को प्रतिवादीगण कि तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटीस कि गई। पत्रावली दिनांक 21/06/2017 को कैम्प कोर्ट इन्द्रगढ़ में पेश हुई वादी रामधन उपस्थित अन्य पक्षकारान उपस्थित नहीं इसलिए सहमती नहीं हो पाई आगामी तारीख पेशी 18/07/2017 फरमा दी गई । दिनांक 16/01/2018 को भी प्रतिवादीगण को बार – बार अवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते तनकीयात आगामी तारीख पेशी फरमा दी गई। दिनांक 17/12/2018 को वादी वकील ने एक प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 , आदेश 6 नियम 17 धारा 151 सी0पी0सी0 का पेश किया जिसे न्यायहित में स्वीकार किया गया एवं साथ संशोधित वादपत्र पेश किया जिसे पत्रावली के रिकॉर्ड पर लिया गया। वकील वादी ने कहां कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है इसलिए वाद में तनकियात बनाने कि आवश्यकता नहीं हैं। वादीगण कि ओर से साक्ष्य के शपथपत्र स्वतन्त्र साक्षी लक्ष्मीनारायण पुत्र धोकलाराम जाति गुर्जर निवासी पाली तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान एवं हरसहाय पुत्र मन्नाराम जाति गुर्जर निवासी पाली तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान ने पेश किया कि वाद के वादीगण एवं प्रतिवादीगण को भली प्रकार से जानते हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकारी छोटू थे। छोटू के तीन पुत्र हरबक्स , ,सुखदेव , महादेव हुए , तीनों का स्वर्गवास हो चुका हैं। हरबक्स के एक पुत्र भौरा , सुखदेव के एक पुत्र अमरा, महादेव के पुत्र कालू , मनभर , रामरतन, कल्याण, हरफूल , ठाकरसी हुए। ठाकरसी गोद चला गया। भौरा के चार पुत्र गोविन्द नारायण, रामचन्द्र , रामधन, रामनारायण हुए। अमरा के एक पुत्र सीताराम हुआ। वादीगण कि खातेदारी भूमि ग्राम पाली में स्थित हैं । उक्त भूमि कर्ताखानदान होने के कारण अकेले महादेव पुत्र छोटू के नाम दर्ज थी। जबकी उक्त भूमि में हरबक्स, सुखदेव, महादेव तीनों का हिस्सा 1/3 – 1/3 स्थित था। इसी प्रकार उक्त भूमि पर हरबक्स एवं सुखदेव के विधिक वारीसान वादीगण का 1/3–1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त हैं। वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं परन्तु उक्त वादी सं. 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/3 वादी सं. 5 का हिस्सा 1/3 हैं तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त हैं। मौके पर वर्ष 1981 से रहवास हेतू मकानात भी वादीगण के बने हुए हैं तथा उसमें वादीगण निवास करते हा रहे हैं। दिनांक 31/12/2018 को कायममुकाम के वारीसों को जरिये नोटीस तलब किया गया जिसमें आगामी पेशी 17/01/2019 नियत कि गई जारी नोटीस तामील होकर प्राप्त हुए । नोटीसों का अवलोकन करने पर मोतादेवी पत्नि मनभर व रामगोपाल पुत्र मनभर निवासी भानपुरकलां कि तामील चस्पानगी से हुई हैं लेकिन बार – बार अवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं अतः इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्य में वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं. 35 सम्वत् 2057 – 2060 , भू–प्रबन्ध विभाग का फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा , खसरा गिरदावरी सम्वत् 2008 से 2011, खसरा गिरदावारी सम्वत 2012 से 2015, खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 से 2019 कि प्रमाणित प्रति पेश किये हैं।

बहस वादीगण सुनी गई बहस में वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित आराजियात की ताईद कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 के हक पूर्वाधिकारी छोटू थे जिनके तीन पुत्र हरबक्स ,

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

सुखदेव , महादेव हुए। हरबक्स के एक पुत्र भौरा, सुखदेव के एक पुत्र अमरा तथा महादेव के कालू, मनभर , रामरतन, कल्याण, हरफूल , ठाकरसी , भौरा के वादी सं. 1 लगायत 4 हुए तथा अमरा के वादी सं. 5 हुआ , ठाकरसी गौद चला गया । वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 के हकपुर्वाधिकारी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ़में स्थित भूमि खसरा नम्बर 262 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 309 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 313 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 314 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 319 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 320 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 321 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 322 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 324 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 343 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 362 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 448 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 665 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 687 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 688 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 689 रकबा 3 बीघा , खसरा नम्बर 707 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 715 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा , खसरा नम्बर 717 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 718 रकबा 14 बिस्वा पर अर्सेदराज से काश्त करते थे। स्व0 भौरा पत्र हरबक्स के विधिक वारीसान / उत्तराधिकारी वादी सं. 1 लगायत 4 एवं स्व. अमरा पुत्र सुखदेव का विधिक वारीस/ उत्तराधिकारी वादी सं. 5 हैं जो कि वादग्रस्त भूमियों में वादी सं.1 लगायत 4 के पिता स्व0 भौरा पुत्र हरबक्स का हिस्सा 1/3 , वादी सं. 5 के पिता स्व0 अमरा पुत्र सुखदेव का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 का सयुक्त हिस्सा 1/3 स्थित था जिसे वे बहैसीयत खातेदार काश्त करते थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक वारीसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से 1/3 – 1/3 पर काबिज काश्त है। भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कर्ताखानदान होने के नाते उक्त वादग्रस्त भूमियों के सम्पूर्ण भाग के राजस्व रिकॉर्ड में महादेव पुत्र छोटू का नाम अंकित था जबकी उक्त समस्त वादग्रस्त भूमियों में हरबक्स पुत्र छोटू का हिस्सा 1/3 , सुखदेव पुत्र छोटू का हिस्सा 1/3 तथा महादेव पुत्र छोटू का वास्तविक हिस्सा 1/3 था। महादेव कि मृत्यु के पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजीयात के सम्पूर्ण भाग का नामान्तकरण अकेले महादेव के विधिक वारीसान कालू , मनभर , कल्याण, रामरतन, हरफूल के नाम खोला गया। जिसे दूरूस्त करने के लिए कालू वगैरह ने भू–प्रबन्ध विभाग के फद इख्तलाफ इन्द्राज खसरा के समय सलाहकार कमेटी के सामने जाहीर किया कि कालू वगैरह का हिस्सा 1/3 , भौंरा पुत्र हरबक्स का हिस्सा 1/3 , सीताराम पुत्र अमरा का हिस्सा 1/3 दर्ज किया जावे । भौंरा व सीताराम बटायती हैं जिनका पहले नाम दर्ज नहीं हैं। उक्त इन्द्राज के अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादीगण के हक पूर्वाधिकारी का कब्जा काश्त रहा हैं। परन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने सहवन से उक्त इन्द्राज के वादीगण के हकपूर्वाधिकारी भौंरा व अमरा का नाम जमाबन्दी पर अंकन नहीं किया तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में महादेव के वारीसान कालू वगैरह के नाम का ही अंकन किया गया हैं जो पूर्णतः विधि विरूद्ध हैं तथा वादीगण के हक अधिकारों के विरूद्ध शुन्य प्रभावी हैं। उक्त वादग्रस्त भूमियों पर वादी सं. 1 लगायत 4 के पिता स्व0 भौरा पुत्र हरबक्स गुर्जर हिस्सा 1/3 पर एवं वादी सं. 5 के पिता स्व0 अमरा पुत्र सुखदेव गुर्जर हिस्सा 1/3 पर एवं उनकी मृत्यु के बाद वादी सं. 1 लगायत 4 हिस्सा 1/3 पर , वादी सं. 5 हिस्सा 1/3 पर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय पर वादीगण के हकपूर्वाधिकारी

.....7

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

भौरा, अमरा उक्त वादग्रस्त भूमि पर काश्त करते थे तथा उनकी मृत्यु होने तक वह एवं उनकी मृत्यु के बाद वादीगण उक्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार काश्त करते रहे हैं। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरीयों में भी वादी सं. 1 लगायत 4 के पिता भौंरा एवं वादी सं. 5 के पिता अमरा का नाम दर्ज हैं। वादीगण के हकपूर्वाधिकारी बरूहे कानून (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम) वादग्रस्त भूमि के खातेदार थे और उनकी मृत्यु के बाद से ही वादीगण कानूनन उक्त भूमि वादग्रस्त के खातेदार काश्तकार हो गये हैं। उक्त वादग्रस्त भूमियों के सम्पूर्ण भाग पर राजस्व कर्मचारीयों ने सहवन से अकेले महादेव के वारीसान कालू वगैरह के नाम दर्ज कर दिया । राजस्व कर्मचारीयों ने उक्त त्रुटीपूर्ण एवं अधिकारविहीन कार्यवाही की हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव वादीगण के अधिकारों पर नहीं पडता हैं क्योकि अधिनियम के प्रभाव में आने के समय एवं उससे पूर्व ही वादीगण के हकपूर्वाधिकारी उक्त वादग्रस्त भूमियों खातेदार कृषक थे एवं काश्त करते थे जिसका इन्द्राज भू–प्रबन्ध विभाग के फद इख्तलाफ इन्द्राज खसरा व खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 से 2011 व 2012 से 2015 में दर्ज हैं, तथा वादीगण आज तक भी उसी अनुसार काश्त कर रहे हैं। लम्बे समय से बतोर खातेदार काश्तकार काबिज होने से भी वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमियों के खातेदार काश्तकार हो गये हैं। वादीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व0 भौंरा व स्व. अमरा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात स्व0 भौंरा व स्व. अमरा के विधिक वारीसान वादीगण ही वादग्रस्त भूमियों के 1/3 – 1/3 हिस्से को हमेशा काश्त करते थे तथा कानूनन वे उसके 1/3 – 1/3 हिस्से के वास्तविक खातेदार काश्तकार हो गये थे परन्तु राजस्व कर्मचारीयों कि त्रुटी ये उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज नहीं किया हुआ जबकि बरूहे कानून वह उसके खातेदार थे। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज नहीं होने का कोई विपरीत प्रभाव वादीगण के अधिकारों पर नहीं पडता हैं। स्व0 भौरा व स्व0 अमरा एवं उसकी मृत्यु के बाद वादीगण बहैसियत खातेदार उक्त वादग्रस्त भूमि पर नियमित रूप से शांतिपूर्वक काश्त करते रहे हैं परन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में वादी सं. 1 गलायत 4 के पिता स्व0 भौंरा के हिस्से 1/3 व वादी सं. 5 के पिता स्व. अमरा के हिस्से 1/3 के स्थान पर सम्पूर्ण भाग पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकारी कालू वगैरह के नाम अंकित कर दिये जो कि वादीगण के हक अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता हैं जो वादीगण के अधिकारों के खिलाफ (NULL AND VOID) हैं जिससे प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 को वादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता हैं जिसका इल्म वादीगण को होने पर वादीगण ने उक्त प्रतिवादीगण से सम्पर्क किया तो उन्होने आश्वासन दिया कि उक्त इन्द्राज का जब भी वादीगण कहेगें तब दूरूस्त करवा देगें। राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 वादग्रस्त भूमियों के सम्पूर्ण भाग का बैचान करने को आमादा है जबकी विधिक रूप से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 का सयुक्त रूप से उक्त वादग्रस्त भूमियों में 1/3 हिस्सा हैं इससे अधिक हिस्से का बैचान करने का प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 को कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। वादीगण अपने हकपूर्वाधिकारी के समय से ही उक्त वादग्रस्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं तथा वादीगण के हकपूर्वाधिकारी विधिक रूप से वादग्रस्त भूमियों के वास्तविक रूप से 1/3 – 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे एवं उनकी मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसान / उत्तराधिकारी वादीगण ही वादग्रस्त भूमि के कानूनन वास्तविक खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8

.....8

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज का दुरूस्त करवाने से साफ इन्कार करने तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 द्वारा दलालो से बातचीत करने व मौके पर अनजान लोगों लाने के बाद दिनांक 08–01–2013 को प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 वादग्रस्त आराजीयात पर आये तथा वादीगण को कब्जे काश्त से बेकाबिज करने का असफल प्रयास किया एवं धमकिया दी कि हम तुम्हे बेकाबिज करके रहेगें तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 ने कहा कि हम उक्त भूमि के सम्पूर्ण भाग का बैचान करेगें क्योंकि जमीन हमारे (प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 के) नाम खातेदारी दर्ज हैं और हम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राज का दुरूस्त नहीं करवायेगें। वादीगण के हकपूर्वाधिकारी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं हुआ जबकी कब्जा काश्त बतौर खातेदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व के समय से ही था। वादीगण बरूहे कानून वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। इस कारण वादीगण के लिए यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार स्वयं को घोषित करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण का वादकारण उक्त वर्णित दिनांक 08–01–2013 की घटना से उत्पन्न होकर अब तक निरन्तर जारी हैं। जिससे वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोष्णार्थ दावा पेश करना आवश्यक हुआ। 12 वर्ष से लगातार कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं – **आर0आर0डी0 1984 पेज नम्बर 851**, 12 वर्ष के कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान की जा सकती हैं – **आर0आर0डी0 1994 पेज नम्बर 674**, खातेदारी अधिकार के लिए आवश्यक हैं कि वादीगण भूमि पर लगातार खेती करता हो – **आर0आर0सी0 2003 पेज नम्बर 204** पेश कर निवेदन किया वाद वादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 262 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 309 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 313 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 314 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 319 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 320 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 321 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 322 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 324 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 343 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 362 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 448 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 665 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 687 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 688 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 689 रकबा 3 बीघा , खसरा नम्बर 707 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 715 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा , खसरा नम्बर 717 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 718 रकबा 14 बिस्वा स्थित ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ़ के सयुक्त रूप से हिस्से 1/3 का खातेदार काश्तकार वादी सं. 1 लगायत 4 को एवं हिस्से 1/3 का खातेदार काश्तकार वादी सं. 5 एवं शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते हैं साथ ही प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 के नाम से दर्ज समस्त प्रविष्ठीयों को वादीगण के अधिकारों की सीमा तक शून्य प्रभावी व बेअसर घोषित किया जाना तथा वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार अमल दरामद किया

.....9

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

जाना एवं दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण द्वारा डिक्री की गई भूमि पर किसी बैंक या संस्था से कोई ऋण इत्यादि ले लिया हो तो सम्बन्धित प्रतिवादी के हिस्से में शेष रही भूमि पर बैंक भार धारित होकर ऋण की अदायगी प्रतिवादीगण द्वारा किये जाने के आदेश दिया जाना भी उचित समझते हैं।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र घोषणा खातेदारी स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम पाली में स्थित हाल खसरा नम्बर 262 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 309 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 313 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 3,14 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 319 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 320 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 321 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 322 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 324 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 343 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 362 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 419 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 448 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 665 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 687 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 688 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 689 रकबा 3 बीघा , खसरा नम्बर 707 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 715 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा , खसरा नम्बर 717 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 718 रकबा 14 बिस्वा भूमि का सयुक्त रूप से हिस्से 1/3 का खातेदार काश्तकार वादी सं. 1 लगायत 4 को एवं हिस्से 1/3 का खातेदार काश्तकार वादी सं. 5 को एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 के नाम से दर्ज समस्त प्रविष्ठीयों को वादीगण के अधिकारों की सीमा तक शून्य प्रभावी व बेअसर घोषित किया किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार अमल दरामद किया जावे व दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण द्वारा डिक्री की गई भूमि पर किसी बैंक या संस्था से कोई ऋण इत्यादि ले लिया हो तो सम्बन्धित प्रतिवादी के हिस्से में शेष रही भूमि पर बैंक भार धारित होकर ऋण की अदायगी प्रतिवादीगण द्वारा की जायेगी। इस आशय की डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 17.01.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़